चार पीढ़ियों के साथ रहने वालीं महिलाएं होंगी सम्मानित

रायसेन. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष केअवसर पर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा सप्त शक्ति संगम अभियान का देशव्यापी शुभारंभ किया गया है. जिले की पहली सप्तशक्ति संगोष्ठी 30 अक्टूबर को गोपालपुर स्थित रानी दुर्गावती छात्रावास में होगी. सरस्वती विद्या मंदिर और छात्रावास की प्राचार्य कांति मिश्रा ने बताया कि जिले में कुल 80 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी. इनमें महिलाओं की भागीदारी होगी. गोष्ठियों में उन महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, जिनकी चार पीढ़ियां एक साथ संयुक्त परिवार में रह रही हैं.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (एनएसआरटीसी), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रीति
1.	निदेशक	01	123100-215900 रुपए के वेतन में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 में सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

पात्रता शर्तों का विवरण वेबसाइट www.agriwelfare.gov.in या www.nsrtc.nic.in पर देखा जा सकता है.
आवेदन पत्र रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाने चाहिए.

अवर सचिव (बीज)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कमरा संख्या 432, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001
सीबीसी-01111/11/0003/2526 **दूरभाष- 23385784**

राष्ट्रपति ने एमपी को किया सम्मानित

आदि कर्मयोगी अभियान में एमपी का देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन

भोपाल, 17 अक्टूबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नईदिल्ली के विज्ञान भवन में आदि कर्मयोगी अभियान पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश को सम्मानित किया.

प्रदेश के प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा ने म.प्र. के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार ग्रहण किया. उन्होंने जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों पर प्रस्तुति दी. मध्यप्रदेश को आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम पांच राज्यों में स्थान मिला है.

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान जनजाति समुदायों के

सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रारंभ किया गया. इसका उद्देश्य जनजाति क्षेत्र में ग्राम स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, योजनाओं का प्रभावी अमल सुनिश्चित करना और शासन को और ज्यादा जवाबदेह बनाना है. यह अभियान सेवा, संकल्प और समर्पण जैसे मूल्यों पर आधारित है जो जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

प्रमुख सचिव जनजाति कार्य बामरा ने मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान में 1 लाख 41 हजार आदि सहयोगी काम कर रहे हैं.

> जनजाति क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. शाला छोड़ने वाले बच्चों पर निगरानी रखी जा रही है. वर्तमान में माता शबरी आवासीय बालिका शिक्षा कंपलेक्स, हॉस्टल, आदर्श आवासीय स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, आश्रम स्कूल, खेल परिसर मिलाकर 2,913 संस्थाएं संचालित है जिनमें 2 लाख 30 हजार विद्यार्थियों के रहने की क्षमता है. विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी विशेष सत्र आयोजित किए गए. मलेरिया, टीबी, एनीमिया की रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जा रहे हैं.

रुनाहा स्कूल प्राचार्य मुख्यालय पर नहीं रहते, व्यवस्था बिगड़ी

बैरसिया, 17 अक्टूबर. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुनाहा में पदस्थ प्राचार्य मुख्यालय पर निवासरत नहीं रहकर स्कूल से भी नदारद रहने लगे थे. लेकिन आयुक्त लोक शिक्षण संचानालय द्वारा जारी ई -अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज के जारी निर्देश से अंकुश लगा है.

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार स्कूल रुनाहा में प्रकाश विजयवर्गीय करीब बीते दो शैक्षणिक सत्रों से पदस्थ हैं. सूत्र बताते हैं कि इन्हीं सत्रों में इन्होंने नियम विरुद्ध बगैर किसी वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों के ओडी लेकर घर पर रहे. इस ओडी मामले की जांच जेडी लेवल से होना चाहिए. साथ-साथ स्कूल मदों में मिली राशियों शाला विकास, रमसा आदि के रिकॉर्ड परीक्षण किए जाएं और प्राचार्य की कार्यप्रणाली की पड़ताल संकुल स्तर पर कर समस्याओं का निराकरण जांच दल द्वारा किया जाए. क्योंकि प्राचार्य की लापरवाही के चलते छात्रों को पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है. शाला प्रबंधन समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर प्राचार्य के कार्यकाल के समस्त वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की मांग की है.

> हमने स्कूलों में पदस्थ सभी लोकसेवकों के लिए ई- अटेंडेंस अनिवार्य की है. इसी के आधार पर वेतन आहरित होगा, इससे स्कूल व्यवस्था में भी सुधार होगा.
> **- एन के अहिरवार,**
> जिला शिक्षा अधिकारी

त्यौहारों पर शांति व सुरक्षा को लेकर पुलिस कर रही सघन चेकिंग

इंदौर 17 अक्टूबर. दीपावली पर्व को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को लेकर पुलिस ने विशेष चेकिंग और सर्चिंग अभियान शुरू किया है. पुलिस उपायुक्त जोन-2 के निर्देशन में जोन-2 के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई की गई. अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान संभावित आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और भी?भा? वाले इलाकों में कानून-व्यवस्था को सुदृ? बनाना है. अभियान के तहत थाना खजराना, कना?या, परदेशीपुरा, एमआईजी, लसू?या और विजयनगर पुलिस ने एक साथ मोर्चा संभाला. खजराना और कना?या थाना क्षेत्र में बंगाली चौराहे पर सघन चेकिंग की गई, जहां 50 से अधिक वाहनों को रोका गया और 12 संदिग्ध वाहनों को थाने लाकर तस्दीक उपरांत छो?ा. वहीं, परदेशीपुरा और एमआईजी थाना क्षेत्र में परदेशीपुरा चौराहे से एलआईजी चौराहे तक अभियान चलाया.

बैरसिया में फल, सब्जी मंडी निर्माण के लिए किया स्थल निरीक्षण

बैरसिया, 17 अक्टूबर. कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में सब्जियों और फलों की मंडी निर्माण के लिए गुरुवार को विधायक विष्णु खत्री के साथ संयुक्त संचालक सविता झानिया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा स्थल चयन के लिए निरीक्षण किया.

संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड ने बताया कि बैरसिया मंडी परिसर में नवीन फल, सब्जी मंडी निर्माण ओर नवीन विश्राम गृह के लिए स्थल निरीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में फल और सब्जी मंडी का निर्माण होने से मंडी की आय में वृद्धि होगी. साथ ही क्षेत्र में फल और सब्जी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी. इधर फल और सब्जियों के व्यापारियो को रोजाना दूसरे शहर फल व सब्जियां खरीदने-बेचने नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें फल व सब्जी खरीदने-बेचने में सहूलियत होगी. इसके बाद संयुक्त संचालक झानिया ओर जनप्रतिनिधियों के बीच अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
विज्ञापन संख्या : 43/2025

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, स्टॉफ कार चालक (सामान्य श्रेणी/ ग्रेड) पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है.

पद का नाम एवं संख्या	वेतनमान
स्टॉफ कार चालक (सामान्य श्रेणी/ ग्रेड) पद संख्या- 2	वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-2 (रु. 19900-63200)

पात्रता मानदंड, योग्यताएं, वेतनमान एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की वेबसाइट ugc.gov.in/Tenders/Jobs पर उपलब्ध है.
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिन होगी.
सीबीसी-21205/12/0010/2526 **सचिव, यूजीसी**

अधिकांश छात्राओं में खून की कमी

बेगमगंज. शासकीय कन्या एमएलबी हायर सेकंडरी स्कूल में बीईओ व प्राचार्य राजेंद्र श्रीवास्तव की पहल पर कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर स्कूल प्रांगण में लगाया गया. शिविर में दर्ज 600 छात्राओं में से 553 का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, अधिकांश ही मोग्लोबिन की कमी, बीपी से पीड़ित मिलीं. हेल्थ टीम ने कक्षा 6 वीं से कक्षा 12 वीं तक की 600 छात्राओं में से 552 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया. बीएमओ डॉ.नितिन सिंह तोमर ने बताया कि छात्राओं का हीमोग्लोबिन, ब्लडप्रेशर, सुगर, नेत्र परीक्षण इत्यादि सहित सभी जांचें किए जाने पर 17 छात्राओं में खून की ज्यादा कमी पाई गई एवं 3 छात्राओं का टीबी परीक्षण के लिए नमूने लिए गए है.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन
क्रमांक/763/रीडर-1 बेगमगंज, दिनांक 23/7/2025

उद्‌घोषणा

(धारा-6 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत)

एतद् द्वारा सर्व संबंधित एवं ग्रामवासियों ग्राम बरखुआ, प.ह.नं. 16, ग्राम पंचायत चांदबड़, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने आरक्षित वन घोषित करने का विनिश्चय किया है. तदाशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28/8/1970 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें वन की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. यह भूमि आरक्षित हो जाने पर किसी भी प्रकार का दखल, प्रवेश, उपयोग, मार्ग एवं चराई अधिकार, वनोपज संबंधी अधिकार, उत्खनन संबंधी अधिकार, कृषि आदि जीविकोपार्जन अधिकार बंद एवं प्रतिबंधित हो जावेगा. उल्लंघन होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य सुसंगत वन विधियों व विधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. अतः एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस उद्घोषणा के प्रकाशन दिनांक से तीन माह के अंदर कोई भी या समस्त हितग्राही व्यक्ति, पक्षकार आदि उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकार, दावाकृत प्रतिकार, स्वत्व आदि बावत् प्रमाणों, दस्तावेजों सहित लिखित सूचना, आपत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रमाणित करें. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

उद्‌घोषणा आज दिनांक 23/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
G20327/25

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन
क्रमांक/793/रीडर-1 बेगमगंज, दिनांक 23/7/2025

उद्‌घोषणा

(धारा-6 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत)

एतद् द्वारा सर्व संबंधित एवं ग्रामवासियों ग्राम खमरिया उत्तर, प.ह.नं. 51, ग्राम पंचायत खमरिया ता. नई गडिया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने आरक्षित वन घोषित करने का विनिश्चय किया है. तदाशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28/8/1970 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें वन की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. यह भूमि आरक्षित हो जाने पर किसी भी प्रकार का दखल, प्रवेश, उपयोग, मार्ग एवं चराई अधिकार, वनोपज संबंधी अधिकार, उत्खनन संबंधी अधिकार, कृषि आदि जीविकोपार्जन अधिकार बंद एवं प्रतिबंधित हो जावेगा. उल्लंघन होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य सुसंगत वन विधियों व विधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. अतः एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस उद्घोषणा के प्रकाशन दिनांक से तीन माह के अंदर कोई भी या समस्त हितग्राही व्यक्ति, पक्षकार आदि उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकार, दावाकृत प्रतिकार, स्वत्व आदि बावत् प्रमाणों, दस्तावेजों सहित लिखित सूचना, आपत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रमाणित करें. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

उद्‌घोषणा आज दिनांक 23/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
G20258/25

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन
क्रमांक/710/रीडर-1 बेगमगंज, दिनांक 23/7/2025

उद्‌घोषणा

(धारा-6 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत)

एतद् द्वारा सर्व संबंधित एवं ग्रामवासियों ग्राम मेंहदी, प.ह.नं. 49, ग्राम पंचायत बम्होरी टीटोर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने आरक्षित वन घोषित करने का विनिश्चय किया है. तदाशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28/8/1970 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें वन की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. यह भूमि आरक्षित हो जाने पर किसी भी प्रकार का दखल, प्रवेश, उपयोग, मार्ग एवं चराई अधिकार, वनोपज संबंधी अधिकार, उत्खनन संबंधी अधिकार, कृषि आदि जीविकोपार्जन अधिकार बंद एवं प्रतिबंधित हो जावेगा. उल्लंघन होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य सुसंगत वन विधियों व विधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. अतः एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस उद्घोषणा के प्रकाशन दिनांक से तीन माह के अंदर कोई भी या समस्त हितग्राही व्यक्ति, पक्षकार आदि उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकार, दावाकृत प्रतिकार, स्वत्व आदि बावत् प्रमाणों, दस्तावेजों सहित लिखित सूचना, आपत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रमाणित करें. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

उद्‌घोषणा आज दिनांक 23/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
G20237/25

M.P. PASCHIM KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
GPH Compound, Pologround, Indore, CIN-U40109MP2002SGC015121
Ph. No. : 0731-2426144, 2426166, 2426201, 2426150, E-mail : sepurchase06@gmail.com
No. MD/WZ/06/PUR/NIT-323/16806 Indore, Dated : 17.10.2025

NOTICE INVITING TENDER

(A) Online tenders are invited for following Turnkey Contract as per Tender Specifications :-

TS No.	Name of Work	Estimated Cost (inclusive of GST in Rs. Lakhs)	Online tender Opening Date	Pre Bid Meeting Date
1927	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 33/11 kV New GIS Substation (1X10 MVA & 1X8 MVA) with associated 33 kV & 11 kV Lines at Chardham in City Dn. West, Ujjain along with AMC of 5 years under Simhasth Fund in MPPKVVCL Indore.	955.00	07.11.2025	28.10.2025

(B) Online tenders are invited for procurement of following material as per Tender Specifications:-

TS No.	Name of Work	Tender Qty.	Online Tender Opening Date	Pre Bid Meeting Date
1928	11 & 33 KV Metering equipment of 0.5s accuracy class	487 No.	14.11.2025	03.11.2025
1929	Single core 95 Sqmm XLPE Un-Armoured Cable	30 Km.	14.11.2025	N/A

For further detailed information visit Website http://www.mpwz.co.in or https://www.mptenders.gov.in.
M.P. Madhyam/122634/2025 **CHIEF ENGINEER (PURCHASE)**

CHANGE OF NAME
I Vanita Jagdhari D/O, Shri Vinod Kumar Jagdhari formerly resident of bunglow no 36 Neemuch cantt and present R/o L-43 Ridgewood Estate Dlf Phase4 Gurugram 122009 have changed my name to Vanita Sailesh W/O Mr Sailesh since my marriage on 27 April 1990. It is herby informed that Ms Vanita Jagdhari & Ms Vanita Sailesh are same persons

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)
जबकि, अधोहस्ताक्षरी आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (आईआईएफएल-एचएफएल) के नाम से जाना जाता था) का प्राधिकृत अधिकारी है. वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया था- राशि चुकाने के बाद, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कब्जा ले लिया है. उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का. विशेष रूप से लोगों को और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नहीं किया जाएगा. यहां नीचे उल्लिखित राशि के लिए ब्याज सहित आईआईएफएल एचएफएल के शुल्क के अधीन होगा. उधारकर्ता का ध्यान है अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता सभी के साथ मिलकर आईआईएफएल एचएफएल का बकाया चुका देता है बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय की गई लागत, शुल्क और व्यय, सुरक्षित संपत्ति बेची नहीं जाएगी या आईआईएफएल एचएफएल द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आईआईएफएल एचएफएल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री घनश्याम यादव, श्रीमती रीना, यादव डेयरी, प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10507716	पटवारी हल्का संख्या 09, मकान संख्या 11, खसरा संख्या 335/1/3, स्थित ग्राम चक्कर रघुनाथपुर, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, 464220, भारत क्षेत्र प्रवेश (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्र- 600.00, 570.00, 456.00	रु. 280696/ (रु. दो लाख अस्सी हजार छह सौ छियानवे मात्र)	07-04-2025	15-10-2025
श्री पूरन सिंह, श्री शुभम यादव, श्रीमती विनीता बाई, प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10634790	P.H.N.09, सर्वे संख्या 196, ग्राम चक रघुनाथपुरा, गुलाबगंज, विदिशा, मध्य प्रदेश, भारत, 464220, क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 750.00, 550.00, 690.00.	रु. 270478/-(रु. दो लाख सत्तर हजार चार सौ अट्ठहत्तर मात्र	08-04-2025	15-10-2025
श्री संजय कुमार गुर्जर श्री विपत सिंह गुर्जर श्रीमती विनीता गुर्जर प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10849073	संपत्ति पीएच नंबर 91, खसरा संख्या 135, क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट ग्राम संगई, पोस्ट-संथोर, तहसील एवं जिला विदिशा, मध्य प्रदेश-भारत 464001 में स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 2000.00, 806.00, 100.00.	रु. 249702/- (दो लाख उन्चास हजार सात सौ दो मात्र)	16-06-2025	15-10-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.
स्थान- भोपाल, दिनांक- 18-10-2025 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

स्कूल में बंद कर मां-बेटे को पीटा

जबलपुर 17 अक्टूबर. संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर चौराहा के पास बीएमडब्लू से जबरदस्ती मां-बेटे को महिला शिक्षिका को अपने अपने सहयोगियों के जरिए उठाया और क्षितिज मॉडल स्कूल ले गए जहां दोनों को बंद कर उसके साथ मारपीट की और धमकाया। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक किया. जेल से छूटे आरोपी को जब वायरल वीडियो की जानकारी लगी तो वह देर रात थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शांतनु घोष निवासी ग्वारीघाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह प्राइवेट जॉब करता है। सन् 2022 में सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से क्षितिज मडल स्कूल धनवंतरीनगर की शिक्षिका रानू शर्मा से मुलाकात हुई। रानू शर्मा से दोस्ती हो गई। फिर वह एवं रानू शर्मा दोनों मोबाइल से एक दूसरे को कॉल लगाकर बात करने लगे। सन् 2022 में रानू शर्मा को पैसों की आवश्यकता पड़ी तो बोली कि मुझे पैसों की आवश्यकता है। तब उसने रानू शर्मा को 50,000 रूपये नगद दिये इसके बाद जब पैसा मांगती तो कभी नगद तो कभी ऑनलाईन से दिये। वर्ष 2024 में रानू शर्मा ने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने शादी से मना किया तो वह दबाव बनाने लगी थी। इसके बाद उसने दूसरी युवती से शादी कर ली थी। 21 मई 2025 को सफेद कलर की बीएमडब्लू गाडी से रानू शर्मा अपने सहयोगी रवि सिन्हा, अभिषेक पाठक, शुभम कुशवाहा एवं उसके साथियों के साथ आकर उसकी बाईक के सामने गाडी अड़ा कर रास्ता रोका तभी गाडी खड़ी हो गई बोला कि हमारी गाडी में बैठो तब उसने और उसकी माँ गाडी में बैठकर उसके घर क्षितिज माडल स्कूल गये। गाड़ी को उनके साथी शुभम कुशवाहा लेकर आया और क्षितिज माडल स्कूल की ऊपर मंजिल बालकनी में बैठा दिया तभी सभी एक राय होकर उसे एवं उसकी माँ से अभद्रता करने लगे। रवि सिन्हा ने उसे चाटा मारा। अभिषेक पाठक ने मारपीट की। माँ बीच बचाव करने लगी तो पीछे से शुभम कुशवाहा ने अपने साथियो के साथ आकर मारपीट की। सोशल मीडिया में रवि सिन्हा एवं अभिषेक पाठक द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल कर दिया है।

वीडियो वायरल

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
Office of The Dy. General Managaer (STM-STC) Division-Pipariya
E-mail : dgmstmstcpipariya@gmail.com

NOTICE INVITING E- TENDER

E-Tenders are invited from eligible bidders (A4 and Above Current Ragistration Certificate) for carrying out the following works on semi turn key basis

T.S. No.	Name of Work	Approx. Cost of Work (In Lakhs)	Bid Submission Last Date & Time	Opening Date of Bid Online
61 Date 16/10/25	Aug.of 3.15 to 05 MVA PTR at Location **Ram Nagar** under d/c Sohagpur rural & Installation of 3.15 MVA PTR used Addl. at Location **Sodhra** S/s under Shobhapur D/c under (O&M) Division Sohagpur	19.10	16.10.2025, 18:30 Hrs. up to 27.10.2025, 15:00 Hrs.	28.10.2025 after 15:30 Hrs.

Other details, terms and conditions are available on company website : **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/122624/2025 **DGM (STM & STC)**

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
आदि भवन, 59, अरेरा हिल्स (पर्यावास भवन के सामने) मध्यप्रदेश भोपाल
क्रमांक/भंडार शाखा/242/2025/21743 **भोपाल, दिनांक 15/10/2025**

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में कार्यालयीन स्टेशनरी आदि सामग्री प्रदाय हेतु अनुबंध (RC) किए जाने हेतु अनुभवी फर्मों से ऑनलाइन निविदा www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती हैं. निविदा की विस्तृत शर्तें एवं जानकारी उक्त वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है. निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुबंध अवधि	अनुमानित लागत (EMD) राशि	निविदा प्रतिभूति Performance Guarantee	निष्पादन प्रतिभूति	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आयुक्त, जनजातीय कार्य, आदि भवन, 59, अरेरा हिल्स (पर्यावास भवन के सामने) कार्यालय में स्टेशनरी (रजिस्टर, पेपर, पेन, पेनड्राइव आदि) सामग्री हेतु निविदा	अनुबंध जारी होने के 02 वर्ष तक	रु. 15.00 लाख (रु. पन्द्रह लाख मात्र) प्रतिवर्ष	रु. 25,000 (रु. पच्चीस हजार मात्र)	रु. 45,000 (रु. पैंतालीस हजार मात्र)	500.00

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन www.mptenders.gov.in पोर्टल पर दर्शित तिथि तक क्रय की जा सकती है.
2. निविदा का विस्तृत विवरण पोर्टल पर देखा जा सकता है.
3. निविदा में किसी प्रकार का संशोधन केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही प्रकाशित किया जाएगा.

(श्रीमन शुक्ला)
आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश
G-20268/25

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
Office of The Dy. General Manager (STM-STC) Division-Narmadapuram
E-mail : dgmstmstcnarmadapuram@gmail.com

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tenders are invited from eligible bidders (A4 and Above Current Ragistration Certificate) for carrying out the following works on semi turn key basis

T.S. No.	Name of Work	Approx. Cost of Work (In Lakhs)	Last Bid Submission Date & Time	Online Opening of Bid
46 Date 17.10.25	Aug 3.15 to 5 MVA at Bhokhedi to Removed 3.15 MVA PTR used Additional PTR at Location Nadarwada & Capacitor Bank Shifitng Work under S.M.R D/C under (O&M) Division Narmadpauram	13.47	18.10.2025, 10:00 Hrs. up to 27.10.2025, 15:00 Hrs.	28.10.2025 after 15:30 Hrs.

Other details, terms and conditions are available on company website : **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/122637/2025 **DGM (STM & STC)**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 183, प्रथम तल सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल, नियर सरगम सिनेमा होटल रॉयल विला-462011 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री बबलू सेन श्री नन्नूलाल श्रीमती जमना बाई	19-7-2024 रु. 587990/- (रु. पांच लाख सतासी हजार नौ सौ नब्बे मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें शामिल है- प्लॉट संख्या 28 का पूर्वी भाग, वार्ड संख्या 78, दुर्गा नगर, पलासी, हुजूर, भोपाल, भारत, 462001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)-	7-10-2024 कुल बकाया राशि 12-10-2025	रु. 612000/- (रु. छह लाख बारह हजार मात्र)
न्यू लुक मेन्स हेयर कटिंग सैलून (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10212676)	बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल- 425.00	को रु. 708148/- (रु. सात लाख आठ हजार एक सौ अड़तालीस मात्र)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 61200/- (रु. इकसठ हजार दो सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
17 नवम्बर 2025 11.00-14.00 बजे	19 नवम्बर 2025 के 5.00 बजे तक	21 नवम्बर 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.
स्थान- भोपाल, दिनांक- 18-10-2025 एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड